न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिश मेनारिया, आर.जे.एस.

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या : 932/2018

सीएनआर नम्बर : RJDG020014312018

राजस्थान राज्य -- अभियोगी

बनाम

1. महेश पिता गटू, उम्र 28 साल **(मफरूर)**
2. सूर्यपाल पिता काउवा, उम्र 33 साल
   निवासीयान गोरादा, पुलिस थाना रामसागड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

-- अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 323, 354/34 भा.द.सं.

उपस्थितः

1. अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री भुरीलाल डामोर, अभियुक्त सूर्यपाल की ओर से।

निर्णय दिनांक: 22-07-2026

1. इस प्रकरण का उद्भव अभियोजन अधिकारी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना रामसागडा की ओर से अभियुक्तगण महेश व सूर्यपाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 354/34 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में ''भा.द.सं.'') में अभियोग-पत्र दिनांक 22.06.2018 को न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर में प्रस्तुत किये जाने पर हुआ। प्रकरण कालान्तर में विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। तदुपरान्त इस प्रकरण में अभियुक्त महेश विचारण के दौरान मफरूर घोषित किया गया। अतः यह निर्णय शेष अभियुक्त सूर्यपाल की सीमा तक ही पारित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि पीडिता (प्रार्थिया/आहता को इस प्रकरण में "पीडिता" के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है) ने उपस्थित थाना रामसागड़ा होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 04.05.2018 को शाम करीब 5 बजे घर से पाल गलन्दर में मण्डप में जाने हेतु निकली। करीब 5.30 बजे गोरादा बस स्टेण्ड पर बस का इंतजार कर रही थी, तभी उसके गांव के ही दो लड़के नाम महेश पिता गटु एवं सूर्यपाल पिता काउड़ा मोटरसाईकिल लेकर आये व उसके पास खड़ी कर उसे कहने लगे कि चल तु मेरी मोटरसाईकिल पर बैठ जा। उसने मना किया तो महेश उसके दोनों हाथ पकड़कर खींचने लगा। उसने विरोध किया, तो महेश ने उसको थप्पड़ मारी व लातो-मुक्को से मारपीट की। महेश ने उसकी लज्जाभंग करने के लिए उसका हाथ पकड

22/7/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

खींचने व मारपीट करने लगा। उसके द्वारा चिल्लाने पर बस स्टेण्ड के पास व आसपास के लोग आये, जिन्हें आते देख महेश व सूर्यपाल उनकी मोटरसाईकिल लेकर भाग गये। उसने घर आकर उसके माता-पिता को सारी घटना बतायी। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना रामसागड़ा पर अभियोग संख्या 60/2018 अन्तर्गत धारा 323, 354/34 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

3. अनुसंधानोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग-पत्र अन्तर्गत धारा 323, 354/34 भा.द.सं. में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित दाण्डिक किया गया। अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 354/34 भा.द.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गया, तो अभियुक्तगण ने उक्त अपराधों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 1 पीडिता, पी.डब्ल्यु. 2 भंवरलाल, पी.डब्ल्यु. 3 मणीलाल, पी.डब्ल्यु. 4 कांतिलाल, पी.डब्ल्यु. 5 मदनलाल, पी.डब्ल्यु. 6 श्रीमती हकरी, पी.डब्ल्यु. 7 रमेश, पी.डब्ल्यु. 8 दिनेश, पी.डब्ल्यु. 9 जीवराम व पी.डब्ल्यु. 10 डॉ. विपिन को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी-2 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी-3 चोट प्रतिवेदन श्रीमती मंजुला, प्रदर्श पी-4 से पी-6 धारा 164 द.प्र.सं. के बयान व अन्य कागजात, प्रदर्श पी-7 नक्शा मौका, प्रदर्श पी-8 एमओ को तहरीर एवं प्रदर्श पी-9 व पी-10 फर्द गिरफ्तारी को प्रदर्शित करवाया गया।

5. बयान मुल्जिम के प्रक्रम पर अभियुक्त महेश के अकारण अनुपस्थित हो जाने से उसे प्रकरण में मफरूर घोषित किया जाकर शेष अभियुक्त सुर्यपाल के विरूद्ध अग्रेतर विचारण जारी रखा गया।

6. अभियुक्त सूर्यपाल के विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत् किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्षीगण के कथनों का गलत होना बताते हुए कहा कि उसे झूंठा फंसाया है। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि *''क्या अभियुक्त सुर्यपाल ने दिनांक 05.05.2018 को शाम करीब 5.30 बजे मौजा गोरादा बस स्टेण्ड पर अन्य अभियुक्त के साथ उनके सामान्य आशय के अग्रसरण में पीडिता के साथ स्वैच्छया कुंदालय से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की एवं आहता की लज्जाभंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया? यदि हां, तो उचित दण्ड क्या होगा?''*

22/7/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

8. उक्त अवधार्य प्रश्न को सकारात्मक रूप से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। इन साक्षीगण में प्रार्थिया/आहता पी.डब्ल्यु. 1 पीडिता, चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 4 कान्ति व पी.डब्ल्यु. 9 जीवराम, वाकियाती साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 2 भंवरलाल, पी.डब्ल्यु. 6 श्रीमती हकरी व पी.डब्ल्यु. 8 दिनेश, नक्शा मौका के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 3 मणिलाल व पी.डब्ल्यु. 7 रमेश, चिकित्सक पी.डब्ल्यु. 10 डॉ. विपिन कुमार एवं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 5 मदनलाल हैं।

9. अवधार्य प्रश्न के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रार्थिया/आहता पी.डब्ल्यु. 1 पीडिता की साक्ष्य का अवलोकन करे, तो इस साक्षी ने उसकी मुख्य परीक्षा में बताया है कि घटना दिनांक 05.05.2018 को शाम करीब 5.30 बजे वह गोरादा बस स्टेण्ड पर बस का इंतजार कर रही थी, तभी अभियुक्त महेश एवं सूर्यपाल मोटरसाईकिल पर आये तथा उसे अपने साथ चलने के लिये कहने लगे। मना करने पर उसका हाथ पकड़कर मोटरसाईकिल पर बैठाने का प्रयास किया तथा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसकी स्त्री लज्जाभंग की। उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गये, जिन्हें देखकर दोनों अभियुक्त भाग गये। फिर उसने घर जाकर उसके माता-पिता को सारी बात बताई। उसके पिता के साथ थाने पर जाकर रिपोर्ट दी। मुल्जिमान उसके गांव के ही होने से उनके नाम जानती है। उसके साथ लज्जाभंग के अलावा मारपीट भी की। रेपट व लाते मारी, जिससे उसके गाल, पैर व शरीर पर चोटे आयी। उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पेश की। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5, उसके धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी-4 व नक्शा मौका प्रदर्श पी-7 है। खींचतान से उसके कपड़े भी फट गये थे।

10. उक्त पीडिता ने उसकी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इंकार किया कि रिपोर्ट उसकी हस्तलिखित नहीं हो। यह स्वीकार किया कि घटना बस स्टेण्ड पर हुई, जहां दो दुकानें है, जो घटना के समय खुली हुई थी एवं रोड़ पर आवागमन चालु होकर घटना के समय वहां पर बहुत सारे लोग थे। घटना की रिपोर्ट उसने तुरन्त उसी दिन दे दी थी। दोनों जिस मोटरसाईकिल से आये थे, उसे नम्बर उसे ध्यान नहीं है। यह स्वीकार किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, धारा 164 द.प्र.सं. के कथन प्रदर्श पी-4 एवं उसके पुलिस बयानों में कपड़े फटने वाली बात नहीं लिखी है। यह भी स्वीकार किया कि जिन व्यक्तियों ने उसका बीच-बचाव किया था, उनके नाम उसने रिपोर्ट में और उसके पुलिस बयानों में नहीं लिखवाये।

11. उक्त पीडिता की साक्ष्य की विवेचना करे, तो इसकी साक्ष्य में अत्यधिक तात्विक विरोधाभास प्रकट हुए है। यथा पीडिता ने उसकी मुख्य परीक्षा में बताया है कि महेश व सुर्यपाल ने साथ ले जाने के लिये उसका हाथ पकड़ लिया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट चालु कर दी व उसकी स्त्रीलज्जा भंग की। परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त साक्षिया ने उल्लेख किया है कि महेश ने उसके दोनों हाथ पकड़कर खींचने लगा एवं विरोध किया, तो महेश ने उसे थप्पड़ मारी व लातों मुक्कों से मारपीट की, महेश उसकी लज्जाभंग

22/7/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

करने के लिये उसके हाथ पकड़कर खींचने व मारपीट करने लगा। इस प्रकार एक ओर प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीडिता ने स्पष्टतः हाथ पकड़ने, मारपीट करने आदि कृत्य केवल महेश द्वारा किये जाने बताये है, जबकि सशपथ साक्ष्य में महेश के साथ ही सुर्यपाल द्वारा भी उक्त कृत्य किये जाना बताती है, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त सुर्यपाल के साथ में होने के अलावा उसके द्वारा कोई भी अपराध किये जाने का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार इस पीडिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि मोटरसाईकिल उसके पास लाकर खड़ी कर उसे कहा कि चल तु मेरी मोटरसाईकिल पर बैठ जा, जबकि सशपथ साक्ष्य में पीडिता कहती है कि मोटरसाईकिल पास लाकर खड़ी कर उसे कहा कि कौनसे गांव की है और सशपथ साक्ष्य में मोटरसाईकिल पर बैठने की बात कही हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया है। इससे भी भिन्न एवं नवीन तथ्य पीडिता ने उसके धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् लेखबद्ध कथन प्रदर्श पी-4 में बताते हुए कहा है कि सुर्यपाल व महेश मोटरसाईकिल पर आये और आते ही उससे नाम वगैरह पुछा। इस प्रकार पीडिता उक्त तथ्य के सम्बन्ध भी परस्पर विरोधाभासी कथन करती है। इसके अलावा पीडिता उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सशपथ बयानों में कहती है कि उसका हाथ पकड़कर खींचा एवं मना करने पर उसके साथ मारपीट की, जबकि उसके धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी-4 में बताती है कि पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसे वे जबरदस्ती मोटरसाईकिल पर बिठाने लगे। इसके अतिरिक्त उक्त बयान प्रदर्श पी-4 में यह नवीन तथ्य भी बताती है कि सुर्यपाल व महेश ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जो छुड़ाकर वह पीछे भागी, जबकि हाथ छुड़ाकर पीछे भागने का कोई तथ्य न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित है और न ही उसकी मुख्य परीक्षा में कहीं बताया है। इसके अतिरिक्त पीडिता ने उसकी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि खींचतान में उसके कपड़े भी फट गये थे, जबकि कपड़े फटने का कोई तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अथवा उसके धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में भी उल्लेखित नहीं है।

12. इसके अतिरिक्त पीडिता उसकी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को गलत होना बताती है कि रिपोर्ट उसकी हस्तलिखित नहीं हो, अर्थात् इसके अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने ही अपने हाथ से लिखी थी, जबकि पीडिता के पिता पी.डब्ल्यु. 2 भंवरलाल प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करते है कि रिपोर्ट थाने में बद्रीप्रसाद ने लिखी थी। प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को भी गलत होना बताया है कि अभियुक्तगण उसे पहले से नहीं जानते है, अर्थात् उक्त कथन के अनुसार अभियुक्तगण उसे पहले से जानते थे, जबकि पीडिता ने उसके धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके पास मोटरसाईकिल रोककर उसका नाम वगैरह पुछा। उक्त दोनों कथन विरोधाभासी है, यदि अभियुक्तगण उसे पहले से जानते थे, तो नाम आदि पुछने की आवश्यकता नहीं थी तथा यदि नहीं जानते थे, तो प्रतिपरीक्षा में किया गया उक्त कथन स्वतः मिथ्या हो जाता है। इस प्रकार उक्त पीडिता ने उक्तानुसार अत्यधिक तात्विक विरोधाभासी कथन किये है।

22/7/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

13. अब अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य को देखे, तो चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 4 कान्तिलाल ने उसकी मुख्य परीक्षा में बताया है कि महेश व सुर्यपाल मोटरसाईकिल लेकर आये और पीडिता के पास आकर उसके साथ झगड़ा व मारपीट करने लगे, पीडिता को खींचकर मोटरसाईकिल पर बिठाने लगे। पीडिता के चिल्लाने पर उसने, जीवराम व रमेश ने जाकर छुड़ाया था। उसके बाद वे दोनो लड़के वहां से भाग गये।

14. उक्त चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य की विवेचना करे, तो उक्त साक्षी ने बताया है कि उसने व अन्य लोगो ने पीडिता को छुड़ाया, उसके बाद अभियुक्तगण वहां से भाग गये, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आसपास के लोगों को आता देखकर अभियुक्तगण वहां से भाग गये, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि किसी ने भी आकर पीडिता को छुड़ाया हो और उसके बाद अभियुक्तगण वहां से भागे हो। इसके अलावा उक्त साक्षी ने बताया है कि अभियुक्तगण ने पीडिता के पास आकर मोटरसाईकिल रोककर उसके साथ झगड़ा कर मारपीट करने लगे और पीडिता को खींचकर दोनों मोटरसाईकिल पर बिठाने लगे, जबकि पीडिता की सशपथ साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण ने मोटरसाईकिल रोककर उसका गांव के बारे में पुछा और उसे साथ चलने के लिये कहा, फिर उसका हाथ पकड़ा। इस प्रकार उक्त साक्षी भी उक्त भांति से भिन्न तथ्य बताता है। इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा में भी उक्त साक्षी यह स्वीकार करता है कि वक्त घटना उनके परिवार में दुल्हे के मण्डप का कार्यक्रम चल रहा था और वे भी सायं 5.30 बजे तक उसी कार्यक्रम में मौजुद थे तथा घटनास्थल से मण्डप का कार्यक्रम 1 किलोमीटर दूर था। पीडिता ने घटना का समय भी सायं 5.30 बजे ही होना बताया है, यदि घटना के समय अर्थात् सायं 5.30 बजे तक उक्त साक्षी घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर मण्डप के कार्यक्रम में था, तो उसके द्वारा बीचबचाव किया जाना सम्भव ही नहीं रह जाता है।

15. चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 9 जीवराम ने उसकी मुख्य परीक्षा में ही बताया है कि घटना के समय वह गैंजी में था, उसे उसकी भतीजी पीडिता ने घटना के बारे में बताया था। इस प्रकार प्रथमतः उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होकर मात्र अनुश्रुत साक्षी है। इसके अलावा यह साक्षी कहता है कि घटना के समय वह गैंजी गांव में था, जबकि चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 4 कान्तिलाल कहता है कि उसने व जीवराम ने बीचबचाव कर पीडिता को छुड़ाया था। इस प्रकार साक्षी पी.डब्ल्यु. 9 जीवराम द्वारा स्वयं का घटना नहीं देखना एवं घटना के समय गैंजी गांव में होना बताये जाने से चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 4 कान्तिलाल की साक्ष्य भी अविश्वसनीय हो जाती है।

16. इस प्रकार उक्त दोनों चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य भी विवेचनोपरान्त परस्पर विरोधाभासी एवं अविश्वसनीय प्रकट होती है। इनके अलावा वाकियाती साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 2 भंवरलाल, पी.डब्ल्यु. 6 श्रीमती हकरी व पी.डब्ल्यु. 8 दिनेश भी उनकी सशपथ साक्ष्य में घटना के बारे में अन्य द्वारा बताया जाना कहते है तथा प्रतिपरीक्षा में घटना नहीं देखना भी स्वीकार करते है।

22/7/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

17. उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त प्रकरण में परीक्षित करवाये गये साक्षीगण में पी.डब्ल्यु. 3 मणिलाल व पी.डब्ल्यु. 7 रमेश नक्शा मौका के साक्षीगण है। साक्षी पी.डब्ल्यु. 10 डॉ. विपिन कुमार चिकित्सक है। इन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। इनके अलावा अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 5 मदनलाल ने भी उसकी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि प्रार्थिया ने उसके समर्थन में उसके परिवार के लोगों को ही गवाही में पेश किये थे। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी ने किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति से इस प्रकरण में अनुसंधान किये जाने का कोई प्रयास नहीं किया है, जबकि घटनास्थल बस स्टेण्ड होकर वहां पर दुकाने होना भी पत्रावली पर आया है। इसके अलावा घटना का समय भी सायं 5.30 बजे का होने से बस स्टेण्ड पर लोगों की उपलब्धता की भी सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है, तथापि अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति से कोई अनुसंधान करने का प्रयास नहीं किया तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत उसके परिवार के व्यक्तियों को ही परीक्षित कर लिया।

18. इस प्रकार इस प्रकरण में परीक्षित करवाये गये उक्त साक्षीगण की साक्ष्य की समग्र रूप से विवेचना करे, तो प्रथमतः पी.डब्ल्यु. 1 पीडिता ने उसकी सशपथ साक्ष्य में अत्यधिक व तात्विक विरोधाभासी कथन किये है, जिसकी साक्ष्य सम्पुष्टिकारक अन्य साक्ष्य के अभाव में विश्वसनीय प्रकृति की नहीं मानी जा सकती है। इसके अलावा चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 4 कान्तिलाल ने भी उसकी साक्ष्य में विरोधाभासी कथन किये है तथा स्वयं उसके व जीवराम द्वारा पीडिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर जाना एवं बीचबचाव करना बताया है, जबकि पी.डब्ल्यु. 9 जीवराम उसकी साक्ष्य में कहता है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था एवं उसके घटना के बारे में पीडिता ने बताया था। इस प्रकार उक्त चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य भी विश्वसनीय प्रकृति की नहीं रह जाती है। इनके अलावा प्रकरण में परीक्षित करवाये गये साक्षीगण अनुश्रुत साक्षीगण होकर कोई भी साक्षी तात्विक प्रकृति का नहीं है। इसके अतिरिक्त घटनास्थल बस स्टेण्ड होने के उपरान्त भी अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में किसी स्वतंत्र व्यक्ति से कोई अनुसंधान नहीं किया है तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत उसके परिवार के लोगों को ही साक्षी बनाकर अनुसंधान पूर्ण किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की उक्त भांति से विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह की परिधि से परे साबित नहीं माना जा सकता है।

19. अतः पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य की उक्तानुसार विवेचना से अभियोजन पक्ष अभियुक्त सुर्यपाल के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं कर पाया है। तदनुसार अभियुक्त सुर्यपाल को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 354/34 भा.द.सं. से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

20. परिणामतः अभियुक्त सूर्यपाल पिता काउवा, उम्र 33 साल, निवासी गोरादा, पुलिस थाना रामसागड़ा जिला डूंगरपुर (राज.) को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

323, 354 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त सुर्यपाल के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलका निरस्त किये जाते है।

21. अभियुक्त सुर्यपाल को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437ए द.प्र.सं. के तहत 10,000/- रूपये का मुचलका एवं समान राशि की एक जमानत आगामी छः माह की अवधि हेतु इस आदेश की अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाने के आशय की पेश करे।

22. अभियुक्त महेश पिता गटू निवासी गोरादा, पुलिस थाना रामसागड़ा जिला डूंगरपुर (राज.) मफरूर है। अतः पत्रावली के सरवरक पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि अभियुक्त मफरूर होने से पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किया जावे।

(हरिश मेनारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

23. निर्णय आज दिनांक 22-07-2026 को लिखाया व हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिश मेनारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)